MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 30th December; 1999/Pausa 9, 1921 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 30th December, 1999 and is hereby published for general information:-

THE NATIONAL TRUST FOR THE WELFARE OF PERSONS WITH AUTISM, CEREBRAL PALSY, MENTAL RETARDATION AND MULTIPLE DISABILITIES ACT, 1999

No.44 of 1999

[30th December, 1999] An Act to provide for the constitution of a body at the National level for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto.

- Be it enacted by Parliament in the Fiftieth year of the

Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short Title & Extent

- 1. (1) This Act may be called the National Trust For the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999.
 - (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu & Kashmir.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires Definition
 - (a) "autism" means a condition of uneven skill development primarily affecting the communication and social abilities of a person, marked by repetitive and ritualistic behaviour;
 - (b) "Board" means Board of trustees constituted under section 3;

- (c) "cerebral palsy" means a group of non-progressive conditions of a person characterised by abnormal motor control and posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre- natal, peri-natal or infant period of development;
- (d) "Chairperson" means the Chairperson of the Board appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 3;
- (e) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under sub-section (1) of section 8;
- (f) "Member" means a Member of the Board and includes the Chairperson;
- (g) "Mental Retardation" means a condition of arrested or incomplete development of mind of person which is specially characterised by subnormality of intelligence;
- (h) "Multiple Disabilities" means a combination of two or more disabilities as defined in clause (i) of section 2 of the Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996);
- (i) "notification" means a notification published in the official Gazette;
- (j) "persons with disability" means a person suffering from any of the conditions relating to autism, cerebral palsy, mental retardation or a combination of any two or more of such conditions and includes a person suffering from severe multiple disability;
- (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (I) "professional" means a person who is having special expertise in a field which would promote the welfare of persons with disability;
- (m) "registered organisation" means an association of persons with disability or an association of parents of persons with disability or a voluntary organisation, as the case may be, registered under section 12;
- (n) "regulations" means the regulations made by the Board under this Act;
- (o) "severe disability" means disability with eighty percent or more of one or more multiple disabilities;
- (p) "Trust" means the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability constituted under sub-section (1) of section 3.

CHAPTER II

THE NATIONAL TRUST FOR WELFARE OF PERSONS WITH AUTISM, CEREBRAL PALSY, MENTAL RETARDATION AND MULTIPLE DISABILITY

- 3. Constitution of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability, etc. -
 - (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification, appoint there shall be constituted, for the purposes of this Act, a body by the name of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, which shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued.
 - (2) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Trust shall vest in a Board which may exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Trust.
 - (3) The head office of the Trust shall be at New Delhi and the Board may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.
 - (4) The Board shall consist of-
 - (a) a Chairperson to be appointed by the Central Government from amongst the persons having expertise and experience in the field of autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disability;
 - (b) nine persons to be appointed in accordance with such procedure as may be prescribed from amongst the registered organisations out of which three members each shall be from voluntary organisations, associations of parents of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disability and from associations of persons with disability, members;
 - Provided that initial appointment under this clause/shall be made by the Central Government by nomination;
 - (c) eight persons not below the rank of Joint Secretary to the Government of India nominated by the Government to represent the Ministries or Departments of Social Justice and Empowerment,

Women and Child Development, Health and Family Welfare, Finance, Labour, Education, Urban Affairs and Employment and Rural Employment and Poverty Alleviation, Members, ex officio;

- (d) three Persons to be nominated by the Board representing the associations of trade, commerce and industry engaged in philanthropic activities, members;
- (e) The Chief Executive Officer, who, shall be of the rank of Joint Secretary to the Government of India, Member-Secretary, ex officio.
- (5) The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations, any person whose assistance or advice it may desire for carrying out the objects of the Trust:

Provided that such person shall have a right to take part in the discussions relevant to that purposes but shall not have a right to vote at a meeting of the Board and shall not be a member for any other purposes:

Provided further that the maximum number of persons so associated shall not exceed eight and so far as possible persons so associated shall belong to the registered organisations or from the professionals.

4. Term of office of Chairperson and Members, meeting of Board, etc. -

(1) The Chairperson or a Member shall hold office for a term of three years from the date of his appointment or until his successor shall have been duly appointed, whichever is longer:

Provided that no person shall hold office as the Chairperson or other Member after he has attained the age of sixty-five years.

- (2) The conditions of service of the Chairperson and other Members shall be such as may be prescribed.
- (3) A casual vacancy in the Board shall be filled in accordance with the provisions of section 3 and a person appointed shall hold office only for the remainder of the term for which the member, in whose place he was appointed, would have held that office.
- (4) Before appointing any person as the Chairperson or a Member, the Central Government shall satisfy itself that the person does not and will not, have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as such member.

- (5) No member of the Board shall be a beneficiary of the Trust during the period such Member holds office.
- (6) The Board shall meet at least once in three months at such time and place as may be determined by the Board by regulations and shall observe such rules of procedure in the transaction of business at a meeting as may be prescribed.
- (7) The Chairperson, if for any reason is unable to attend the meeting of the Board, any member elected by the Members present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.
- (8) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding shall have a second or casting vote.

5. Resignation of Chairperson and Members -

- (1) The Chairperson may resign his office by writing under his hand addressed to the Central Government: Provided that the Chairperson shall continue in office until the appointment of his successor is made by the Central Government.
- (2) A Member may resign from office by writing under his hand addressed to the Chairperson.

6. Disqualifications -No person shall be a Member if he -

- (a) is, or becomes, of unsound mind or is so declared by competent court; or
- (b) is, or has been, convicted of an offence, which in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (c) is, or at any time has been, adjudicated as an insolvent.

7. Vacation of office by Member -If a member-

- (a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 6; or
- (b) is, without obtaining leave of absence, absent from three consecutive meetings of the Board; or

(c) tenders his resignation under section 5, his seat shall thereupon become vacant.

8. Chief Executive Officer and Staff of Trust-

- (1) The Central Government shall appoint the Chief Executive Officer to exercise such powers and perform such duties under the direction of the Board as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairperson.
- (2) The Board shall, with the previous approval of the Central Government, appoint such other officers and employees as it considers necessary to carry out the objectives of the Trust.
- (3) The salary and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chief Executive Officer, other officers and employees of the Trust shall be such as may be determined by regulations.
- 9. **Vacancies in Board not to invalidate acts, etc.** No act or proceeding of the Board shall be called in question on the grounds merely of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Board.

CHAPTER III

OBJECTS OF THE TRUST

The objects of the Trust shall be -

- (a) to enable and empower persons with disability to live as independently and as fully as possible within and as close to the community to which they belong;
- (b) to strengthen facilities to provide support to persons with disability to live within their own families;
- (c) to extend support to registered organisations to provide need based services during period of crisis in the family of persons with disability;
- (d) to deal with problems of persons with disability who do not have family support;
- to promote measures for the care and protection of persons with disability in the event of death of their parents or guardians;
- (f) to evolve procedure for the appointment of guardians and trustees for persons with disability requiring such protection;
- (g) to facilitate the realisation of equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disability; and
- (h) to do any other act which is incidental to the aforesaid objects.

CHAPTER IV

POWERS AND DUTIES OF THE BOARD

- 11. (1) The Board shall -
 - receive from the Central Government a one-time contribution of rupees one hundred crores for a corpus, the income whereof shall be utilised to provide for adequate standard of living for persons with disability;
 - (b) receive bequests of movable property from any person for the benefit of the persons with disability in general and for furtherance of the objectives of the Trust in particular;

Provided that it shall be obligatory on the part of the Board to make arrangements for adequate standard of living for the beneficiary named in the bequest, if any, and to utilise the property bequeathed for any other purpose for which the bequest has been made; .

Provided further that the Board shall not be under any obligation to utilise the entire amount mentioned in the bequest for the exclusive benefit of the persons with disability named as beneficiary in the bequest;

- (c) receive from the Central Government such sums as may be considered necessary in each financial year for providing financial assistance to registered organisations for carrying out any approved programme.
- (2) For the purposes of sub-section (1), the expression "approved programme" means-
- (a) any programme which promotes independent living in the community for persons with disability by-
- (i) Creating a conducive environment in the community;
- (ii) Counseling and training of family members of persons with disability; (iii) Setting up of adult training units, individual and group homes;
- (b) any programme which promotes respite care, foster family care or day care service for persons with disability;
- (c) setting up of residential hostels and residential homes for persons with disability;
- (d) development of self-help groups of persons with disability to pursue the realisation of their rights;
- (e) setting up Local Level Committee to grant approval for guardianship; and (f) such other programmes which promote the objectives of the Trust.
- (3) While earmarking funds for the purposes of clause (c) of sub-section (2), preference shall be given to women with disability or to persons with severe disability and to senior citizens with disability.

Explanation -For the purposes of this sub-section, the expression,-

- (a) "persons with severe disability" shall have the same meaning as is assigned to it under sub- section (4) of section 56 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities. Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996);
- (b) "senior citizen" means a person who is above the age of sixty-five years or more.

CHAPTER V

12. PROCEDURE FOR REGISTRATION-

- (1) Any association of persons with disability, or any association of parents of persons with disability or a voluntary organisation whose main object is promotion of welfare of persons with disability may make an application for registration to the Board.
- (2) An application for registration shall be made in such form and manner and at such place as the Board may by regulation provide and shall contain such particulars and accompanied with such documents and such fees as may be provided in the regulations.
- (3) On receipt of application for registration, the Board may make such enquiries as it thinks fit in respect of genuineness of the application and correctness of any particulars thereon.
- (4) Upon receipt of such application the Board shall either grant registration to the applicant or reject such application for reasons to be recorded in writing.

Provided that where registration has been refused to the applicant, the said applicant may again make an application for registration after removing defects, if any, in its previous application.

CHAPTER VI

LOCAL LEVEL COMMITTEE

13. CONSTITUTION OF LOCAL LEVEL COMMITTEES-

- (1) The Board shall constitute a local level committee for such area as may be specified by it from time to time.
- (2) A local level committee shall consist of-
- (a) an officer of the civil service of the Union or of the State, not below the rank of a District Magistrate or a District Commissioner of a district.
- (b) a representative of a registered organisation; and

- (c) a person with disability as defined in clause (f) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996).
- (3) A local level committee shall continue to work for a period of three years from the date of its constitution or till such time it is reconstituted by the Board.
- (4) A local level committee shall meet at least once in every three months or at such interval as may be necessary.

14. Appointment of guardianship -

- (1) A parent of a person with disability or his relative may make an application to the local level committee for appointment of any person of his choice to act as a guardian of the persons with disability.
- (2) Any registered organisation may make an application in the prescribed form to the Local Level Committee for appointment of a guardian for a person with disability.
 - Provided that no such application shall be entertained by the local level committee, unless the consent of the guardian of the disabled person is also obtained.
- (3) While considering the application for appointment of a guardian, the local level committee shall consider-
- whether the person with disability needs a guardian;
- the purposes for which the guardianship is required for person with disability.
- (4) The local level committee shall receive, process and decide applications received under sub-sections (1) and (2), in such manner as may be determined by regulations:
 - Provided that while making recommendation for the appointment of a guardian, the local level committee shall provide for the obligations which are to be fulfilled by the guardian.
- (5) The local level committee shall send to the Board the particulars of the applications received by it and orders passed thereon at such interval as may be determined by regulations.

15. **Duties of Guardian** –

Every person appointed as a guardian of a person with disability under this Chapter shall, wherever required, either have the care of such persons of disability and his property or be responsible for the maintenance of the person with disability.

16. Guardian to furnish inventory and annual accounts -

- (1) Every person appointed as a guardian under section 14 shall, within a period of six months from the date of his appointment, deliver to the authority which appointed him, an inventory of immovable property belonging to the person with disability and all assets and other movable property received on behalf of the person with disability, together with a statement of all claims due to and all debts and liabilities due by such person with disability.
- (2) every guardian shall also furnish to the said appointing authority within a period of three months at the close of every financial year, an account of the property and assets in his charge, the sums received and disbursed on account of the person with disability and the balance remaining with him.

17. Removal of Guardian-

- (1) Whenever a parent or a relative of a person with disability or a registered organisation finds that the guardian is-
- (a) abusing or neglecting a person with disability; or
- (b) misappropriating or neglecting the property, it may in accordance with the prescribed procedure apply to the committee for the removal of such guardian.
- (2) Upon receiving such application the committee may, if it is satisfied that there is a ground for removal and for reasons to be recorded in writing, remove such guardian and appoint anew guardian in his place or if such a guardian is not available make such other arrangements as may be necessary for the care and protection of person with disability.
- (3) Any person removed under sub-section (2) shall be bound to deliver the charge of all property of the person with disability to the new guardian, and to account for all moneys received or disbursed by him.

Explanation -For the purposes of this Chapter, the expression "relative" includes any person related to the person with disability by blood, marriage or adoption.

CHAPTER VII

ACCOUNTABILITY AND MONITORING

18. Accountability-

(1) The books and documents in the possession of the Board shall be open to inspection by any registered organisation.

- (2) Any registered organisation can submit a written requisition to the Board for getting a copy of any book or document maintained by the Board.
- (3) The Board shall frame such regulations as it thinks necessary for allowing the access of any book or document to registered organisation.

19. **Monitoring**-

The Board shall determine by regulations the procedure for evaluating the prefunding status of registered organisations seeking financial assistance from it and such regulations may also provide for the guidelines for monitoring and evaluating the activities of the registered organisations who are receiving financial assistance from the Trust.

20. Annual General Meeting -

- (1) The Board shall in each year hold an annual general meeting of registered organisations, and not more than six months shall elapse between the date of one annual general meeting and that of the next.
- (2) A notice of the annual general meeting along with a statement of accounts and records of its activities during the preceding year shall be sent by the Board to every registered organisation at such time as may be determined by regulations.
- (3) The quorum of such meeting shall be such number of persons of the registered organisations as may be determined by regulations.

CHAPTER VIII

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

21. Grants by the Central Government - The Central Government may, after due appropriation made be Parliament by law in this behalf, make to the Trust a one-time contribution of rupees one hundred crores for a corpus, the income whereof may be utilised to achieve the objects of the Trust under this Act.

22. Fund -

(1) There shall be constituted a Fund to be called National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Fund and there shall be credited thereto-

- (a) all moneys received from the Central Government;
- (b) all moneys received by the Trust by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests and transfers;
- (c) all moneys received by the Trust in any other manner or from any other source.
- (2) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Board may, subject to the approval of the Central Government, decide.
- (3) The Funds shall be applied towards meeting the administrative and other expenses of the Trust including expenses incurred in the exercise of its powers and performance of duties by the Board in relation to any of its activities under section 10 or for anything relatable thereto.
- 23. **Budget** The Board shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, the budget for the next financial year showing the estimated receipt and expenditure of the Trust and shall forward the same to the Central Government.

24. Accounts and Audit

- (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts of the Trust including the income and expenditure accounts in such form as the Central Government may prescribe and in accordance with such general direction as may be issued by that Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.
- (2) The accounts of the Trust shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by Board to the Comptroller and Auditor General of India.
- (3) The Comptroller and Auditor General of India and any other person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Trust shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India generally has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have right to demand the production of books of account, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Trust.

- (4) The accounts of the Trust as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Central Government, and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.
- 25. **Annual Report -**The Board shall prepare every year, in such form and within such time as may be prescribed an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament
- 26. **Authentication of orders etc.-** All orders and decisions of the Board and instruments issued in the name of the Trust shall be authenticated by the signature of Chairperson, the Chief Executive Officer or any other officer authorised by the Chairperson in this behalf
- 27. **Returns and Information -**The Board shall furnish to the Central Government such reports, returns and other information as that Government may require from time to time.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

28. Power of Central Government to issue directions -

- (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Board shall, in exercise of its powers or the performance of its duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time:
 - Provided that the Board shall, as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.
- (2) The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.

29. Power of Central Government to supersede Board -

(1) If the Central Government on the complaint of a registered organisation or otherwise has reason to believe that the Board is unable to perform or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it, the Central Government may issue notice to the Board asking why it should not be superseded; Provided that no order superseding the Board shall be made by the Central Government, unless a notice affording reasonable opportunity to the Board has been given in writing that why it should not be superseded.

(2) The Central Government after recording reasons in writing and by issuing a notification in the Official Gazette supersede the Board for a period of not more than six months;

Provided that on the expiration of the period of supersession, the Central Government may reconstitute the Board, in accordance with section 3.

- (3) Upon the publication of the notification under sub-section (2),
- (a) all the members of the Board shall, notwithstanding that their term of office had not expired as on the date of supersession, vacate their office as such members;
- (b) all the powers and duties which may, by or under the provision of this Act, be exercised or performed by or on behalf of the Trust shall, during the period of supersession, be exercised and performed by such person or persons as the Central Government may direct.
- On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (2), the Central Government may-
- extend the period of supersession for such further period as it may consider necessary so that the total period of supersession does not exceed more than six months; or
- (b) reconstitute the Board in the manner provided in section 3 (43 of 1961).
- 30. **Exemption from Tax on Income** Notwithstanding anything contained in the Income-tax Act, 1961, or any other law for the time being in force relating to tax on income, profits or gains, the Trust shall not be liable to pay income-tax or any other tax in respect of its income, profits or gains derived.
- 31. **Protection of action taken in Good Faith-** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or the Trust or any member of the Board or Chief Executive Officer or any officer or other employee of the Trust or any other person authorised by the Board to perform duties under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is done in good faith (15 of 1860).

Explanation -For the purposes of this section, the expression "good faith" shall have the same meaning as is assigned to it in the Indian Penal Code (45 of 1860).

- 32. Chairperson, Members and Officers of Trust to be public servants -All Members, Chief Executive Officer, other officers and employees of the Trust shall be deemed, when acting or purposing to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
- 33. **Delegation** -The Board may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson or any member or any officer of the Trust or any other person subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order such of its powers under this Act (except the power to make regulations under section 35) as it may deem necessary.

34. Power to make rules -

- (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all of the following matters, namely:-
- the procedure in accordance with which the persons representing registered organisations shall be elected under clause (b) of sub -section (4) of section 3;
- (b) the conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (2) of section (4);
- (c) the rules of procedure in the transaction of business at meetings of the Board under sub- section (6) of section 4;
- (d) the powers and duties of the Chief Executive Officer under sub-section (1) of section 8;
- (e) the form in which an application for guardianship may be made by a registered organisation under sub-section (2) of section 14;
- (f) the procedure in accordance with which a guardian may be removed under section 17;

- (g) the form in which, and the time within which, the budget of the Trust shall be forwarded to the Central Government under section 23:
- (h) the form in which the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 24,
- (i) the form in which, and the time within which, the annual reports shall be prepared and forwarded under section 25;
- (j) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

35. Power to make regulations -

- (1) The Board may, with the previous approval of the Central Government, by notification in the
 - Official Gazette, make regulations consistent with this Act and rules generally to carry out the , purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the manner and purpose for which person may be associated under subsection (5) of section 3;
- (b) the time and place at which the Board shall meet under sub-section (6) of section 4;
- (c) the terms and conditions of service of, Chief Executive Officer, other officers and employees of the Trust under sub-section (3) of section 8:
- (d) the form and manner in which the application shall be made for registration under sub- section, (2) of section 12 and the particulars which such application shall contain under that sub-section; 19"
- (e) the manner in which application for guardianship shall be received, processed and decided by local level committee under sub-section (4) of section 14;
- (f) the particulars of applications and orders passed thereon by the local level committee under subsection (5) of section 14;

- (g) the procedure for evaluating the pre-funding status of the registered organisations and framing of guidelines for monitoring and evaluating the activities of such registered organisations under section 19;
- (h) the time within which notice for annual general meeting shall be sent and quorum for such meeting under sub-sections (2) and (3) of section 20; and
- (i) any other matter which is required to be, or may be, provided by regulations.
- Rules and Regulations to be laid before Parliament- Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर; 1999 / पोष 9, 1921 (शक्)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की सहमति 30 दिसम्बर, 1999 को प्राप्त हुई और सामान्य सूचना के लिए उसे एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

स्वपरायणता (आटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधानियम, 1999

1994 का सं. 4

(30 दिसम्बर 1999) एक अधिनियम जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु—िनःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुशंगिक जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन की व्यवस्था करता है

-इस प्रकार संसद द्वारा गणतन्त्र के पचासवें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियम किया गया-

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

- 1. (1) इस अधिनियम को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु—िनःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।
 - (2) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ इसका विस्तार समस्त भारत के लिए है।
- 2. इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं—परिभाषा
 - (क) ''स्वपरायणता'' (ऑटिज्म) का अर्थ है असमान निपुणता की स्थित जो मनुष्य की संचार—व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है और बारंबारता मूलक और विधिवादी व्यवहार से चिन्हित होती है।
 - (ख) ''बोर्ड'' का अर्थ न्यासियों का बोर्ड है जिसे धारा 3 के अन्तर्गत गठित किया गया है
 - (ग) ''प्रमस्तिष्क घात'' (सेरेब्रल पाल्सी) का तात्पर्य एक व्यक्ति की गैर—प्रगतिशील स्थितियों के समूह से है जो असामान्य मस्तिष्क अनादर या चोटों के फलस्वरूप असामान्य मोटर नियन्त्रित और स्थिति द्वारा विशेषीकृत होती है जो प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन या विकास के शैशव काल में घटित होती है;

- (घ) ''अध्यक्ष'' का अर्थ है बोर्ड का अध्यक्ष जिसे धारा—3 की उपधारा (4) उपखंड (4) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।
- (ड.) ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' का अर्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जिसे धारा 8 की उपधारा—(1) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।
- (च) ''सदस्य'' का अर्थ है बोर्ड का एक सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है।
- (छ) ''मानसिक मन्दता'' (मेन्टल रिटार्ड) का अर्थ है व्यक्ति के चित्त के अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति जो बुद्धि की अपसामान्य स्थिति द्वारा विशेषीकृत होती है।
- (ज) ''बहु—निःशक्तताओं'' (मल्टीपल डिसेब्लिटी) का अर्थ है दो या अधिक निःशक्ततओं का संयोजन है जैसा अशक्तताओं वाला व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 क 1) की धारा 8 की उपधारा (1) में परिभाशित किया गया है।
- (झ) ''अधिसूचना'' का अर्थ है एक अधिसूचना जो सरकारी गजट में प्रकाशित होता है
- (ट) ''निःशक्तता वाला व्यक्ति'' का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता अथवा किसी स्थिति / या ऐसी दो या दो से अधिक निःशक्तता से ग्रस्त है और इसमें गम्भीर बहु—निःशक्तता वाला व्यक्ति भी शामिल होता है;
- (ठ) ''निर्धारित'' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ड़) ''वृत्तिक'' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से हैं जो क्षेत्र में विशेष दक्षता रखता है जो निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढावा देगा।
- (ढ) ''पंजीकृत संगठन'' का अर्थ निःशक्तता वाले व्यक्तियों के एक संघ या निःशक्तता वाले व्यक्तियों के माता पिताओं के एक संघ या स्वैच्छिक संगठन से है, जो धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत है, जैसी भी स्थिति हो;
- (ण) ''विनियमों'' का अर्थ विनियमों से है जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया है;
- (त) ''गंभीर निःशक्तता'' का अर्थ ऐसी निःशक्तता है जो एक या अधिक बहु—निःशक्तताओं का 80 प्रतिशत या अधिक भाग रखती है।
- (थ) ''न्यास'' का अर्थ स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु—निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय न्यास से हैं।

अध्याय-2

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास

- 3. स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु— निःशक्तताओं आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन
 - (1) ऐसी तारीख से जैसा केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जाएगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु—िनःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास नाम के एक निकाय का गठन किया जाएगा जो एक कॉर्पोरेट निकाय उपरोक्त नाम से होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक साक्षी सील, शक्ति के साथ होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति चल और अचल दोनों का अर्जन, धारण और निपटान किया जाएगा, अनुबंध कर सकेगा और उक्त नाम से मुकदमा चला सकेगा या उक्त नाम पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।
 - (2) न्यास के मामलों और कामकाज का सामान्य अधीक्षण, निर्देशों और प्रबन्धन एक बोर्ड में निहित होगा जो सब शक्तियों का प्रयोग करेगा और सब कार्य और चीजें करेगा जिसे न्यास द्वारा किया जाये / या प्रयोग किया जाये।
 - (3) न्यास का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमित के बाद बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
 - (4) बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा-
 - (क) एक अध्यक्ष जिसे केन्द्र सरकार द्वारा उन लोगों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हे स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु—निःशक्तताओं के क्षेत्र में विषेशज्ञता और अनुभव प्राप्त है;
 - (ख) नौ व्यक्तियों को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार / सदस्य नियुक्त किया जाएगा जैसी पंजीकृत संगठनों के बीच में से निर्धारित की जाए जिसमें स्वैच्छिक संगठनों, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के माता पिताओं के संगठनों और निःशक्तता वाले व्यक्तियों के संघ, सदस्य प्रत्येक में से तीन तीन सदस्य होंगे। परन्तु इस धारा के अन्तर्गत आरंभिक नियुक्ति सरकार द्वारा नामांकन से की जाएगी;
 - (ग) सरकार द्वारा आठ व्यक्तियों को नामित किया जाएगा जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के संयुक्त सचिव से कम पद के नहीं होगें और वे मंत्रालयों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों, महिला और शिशु विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, श्रम, शिक्षा, शहरी मामलों और नियोजन और ग्रामीण नियोजन और गरीबी उन्मूलन, सदस्य वदन का प्रतिनिधित्व करेगें।
 - (घ) तीन व्यक्तियों का नामांकन सदस्यों के रूप में बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो उत्थान के कार्यकलापों में

लगे व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के संघों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

- (ड) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का होगा, पदेन सदस्य सचिव होगा;
- 5. बोर्ड अपने साथ किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध कर सकता है जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित और जिसकी सहायता या सलाह, न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है:

परंतु यह कि ऐसे व्यक्ति को उन प्रयोजनों से सम्बद्ध विचार—विमर्शों में भाग लेने के अधिकार होगा लेकिन बोर्ड की बैठक मं उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए वह सदस्य नहीं होगा।

परन्तु इस प्रकार सम्बद्ध किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी और जहां तक संभव होगा सम्बद्ध किए गए ऐसे व्यक्ति पंजीकृत संगठनों से या प्रोफेशनल / पेशेवर / अनुभवी मे से होंगे।

4. अध्यक्ष और सदस्यों, बोर्ड की बैठक आदि की कार्यकाल अवधि

- (1) अध्यक्ष या सदस्य नियुक्ति की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए या अपने उत्तराधिकारी के विधिवत् नियुक्त हो जाने तक जो भी लंबी हो, पद पर बना होगा;
 - परन्तु कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा
- (2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की षर्तें ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जायेगी।
- (3) बोर्ड में किसी आकिस्मिक रिक्ति को धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा और नियुक्त व्यक्ति बाकी उस अविध के लिए ही पद पर रहेगा जिस तक सदस्य ने पद धारण किया होगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है।
- (4) अध्यक्ष और सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले, केन्द्र सरकार अपने आपको संतुष्ट करेगी कि उस व्यक्ति का न कोई वित्तीय या अन्य हित है और न ही वह रखेगा जिससे ऐसे सदस्य के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- (5) पद धारण करने की अवधि के दौरान बोर्ड का कोई सदस्य न्यास का लाभार्थी नहीं होगा।
- (6) बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा बोर्ड द्वारा विनियमों से निर्धारित किया जाएगा और बैठक में कारबार का संव्यवहार करने में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि निर्धारित किए गए हों।
- (7) यदि किसी कारण अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता तो उनमें से कोई भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसे उपस्थित सदस्यों ने चून लिया है।

(8) बोर्ड की बैठक के सामने आने वाले सब प्रश्नों पर उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा और वोटों के समान रहने की स्थिति में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास दूसरा और निर्णायक वोट होगा।

5. अध्यक्ष या सदस्यों का त्याग पत्र

- 1. केन्द्र सरकार को अपने हाथ से लिख कर अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हैः परन्तु जब तक केन्द्र सरकार उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करती, अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा।
- 2. एक सदस्य अपने हाथ से लिखकर और अध्यक्ष को संबोंधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है।

6. निरहर्ताए – कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होगा यदि वह–

- (क) विक्षिप्त है या विक्षिप्त हो गया है और सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित कर दिया है; या
- (ख) किसी अपराध के लिए सिद्ध दोश है या रहा है जिसमें केन्द्र सरकार की राय में नैतिक पतन शामिल है।
- (ग) दिवालिया है या किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत दिवालिया है।

7. सदस्य द्वारा कार्यालय खाली करना –यदि कोई सदस्य–

- (क) धारा ६ में वर्णित निरहर्ताओं में से किसी के अध्यधीन हो जाता है, या
- (ख) गैरहाजिरी की छुट्टी प्राप्त किए बिना बोर्ड की तीन बैठकों से लगातार गैर हाजिर होता है; या
- (ग) धारा ५ के अंतर्गत अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है तो उसपर उसका स्थान खाली हो जाएगा।

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और न्यास के कर्मचारी

- (1) केन्द्र सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करेगी तो बोर्ड के निर्देशों के अन्तर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जो निर्धारित हैं या जैसे अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जायें।
- (2) केन्द्र सरकार की पूर्वानुमित के साथ बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगा जो न्यास के उद्देश्यों का पालन करने के लिए वह जरूरी समझेगा
- (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और न्यास के अन्य अधिकारीयों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

9. बोर्ड में रिक्तियों से कृत्य विधि आदि अमान्य नहीं हो जायेगें —

बोर्ड के किसी कृत्य या कार्यवाही पर इस आधार पर ही प्रश्न नहीं उठाए जायेंगे कि बोर्ड में कोई पद स्थित है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है।

अध्याय - 3

न्यास के उद्देश्य

10. न्यास के उद्देश्य निम्नानुसार होगें-

- (क) निःशक्तता वाले लोगों को समर्थ और सशक्त बनाना, समुदाय के भीतर और निकट यथा संभव स्वतन्त्र रूप से और पूर्ण रूप से रह सकें, जिसके वे अंग है।
- (ख) निःशक्तता वाले व्यक्तियों को सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करें कि वे अपने परिवारों के अन्दर रह सकें:
- (ग) पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करें कि निःशक्तता वाले व्यक्तियों को परिवार में संकट की अवधि के दौरान जरूरत आधारित सेवाएं उपलब्ध करा सकें,
- (घ) निःशक्तता वाले व्यक्तियों की समस्याओं का निपटान करना जिन्हें परिवार से सहायता नहीं मिलती;
- (ड.) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के संरक्षकों या माता—पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना;
- (च) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए, जिन्हें ऐसी सुरक्षा की जरूरत है संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए क्रिया विधि तैयार करना;
- (घ) निःशक्तता वाले व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना;
- (ज) और कोई अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों के आनुशंगिक हों।

अधयाय-4

बोर्ड की शक्तियां और कर्त्तव्य

11. (1) बोर्ड-

- (क) केंद्र सरकार से एक मुश्त रकम (कॉर्पस) के लिए एक सौ करोड़ रूपये का एक—समय का अंशदान प्राप्त करेगा और उसकी आय का उपयोग निःशक्तता वाले लोगो के जीवन के लिए पर्याप्त स्तर उपलब्ध करने के लिए किया जाएगा।
- (ख) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए सामान्यतः और न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए विशेषतः किसी भी व्यक्ति से चल संपत्ति की संकल्प दान (वसीयतें) प्राप्त करेगा
 - परन्तु यह बोर्ड के लिए अनिवार्य होगा की वसीयत में यदि कोई हो तो, नामोद्दिष्ट लाभार्थी के लिए

जीवन के पर्याप्त स्तर के लिए व्यवस्था करेगा और वसीयत में दी गयी संपत्ति का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करेगा जिस प्रयोजन के लिए वसीयत बनाई गयी है।

बशर्ते की बोर्ड किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा की वसीयत में वर्णित समस्त राशि का उपयोग वसीयत में हितोधिकारियों के रूप में नामित निःशक्तता वाले व्यक्तियों के अनन्य लाभ के लिए करे।

- (ग) केंद्र सरकार से ऐसी राशियाँ प्राप्त करेगा जिसे प्रत्येक वित्त वर्ष में आवश्यक समझा जाएगा तािक पंजी.त संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके कि वे अनुमोदित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कर सकें
- (2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, पद ''अनुमोदित कार्यक्रम'' का अर्थ है:
 - (क) कोई कार्यक्रम जो निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय में स्वतंत्र जीवन यापन को निम्न के द्वारा बढावा देता है—
 - (i) समुदाय में अनुकूल माहौल उत्पन्न कर के;
 - (ii) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को परामर्श और प्रशिक्षण दे कर
 - (iii) वयस्क प्रशिक्षण यूनिटों, व्यक्तिगत और समूह घरों को स्थापित करके)
 - (ख) कोई भी कार्यक्रम जो निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए देखरेख, परिवार देखरेख का संवर्धन या निःशक्तता वाले लोगों के लिए दिवस देख—रेख सेवा को बढावा देता है;
 - (ग) निःशक्तता वाले लोगों के लिए रिहायषी होस्टल और रिहायषी घरों की स्थापना करना;
 - (घ) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के स्वतः सहायता समूहों का विकास करना ताकि अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें।
 - (ड़) संरक्षकता का अनुमोदन प्रदान करनें के लिए स्थानीय स्तर समिति की स्थापना करना; और
 - (च) ऐसे अन्य कार्यक्रम जो न्यास के उद्देष्यों को बढ़ावा देते हैं।
- (3) उप—धारा (2) की खण्ड (सी) के प्रयोजन के लिए निधियों को चिन्हित करते समय, निःशक्तता वाली महिलाओं का गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्तियों और निःशक्तता वाले वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण - उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद-

- (क) ''गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्ति'' का वही अर्थ होगा जैसा निःशक्तता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 56 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसे दिया गया है
- (ख) ''वरिष्ठ नागरिक'' का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु 65 वर्ष या अधिक है।

अध्याय 5

12. रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया-

- 1. निःशक्तता वाले व्यक्तियों का कोई संघ, या निःशक्तता वाले व्यक्तियों के माता पिताओं का कोई संघ या एक स्वैच्छिक संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देना हैं बोर्ड को पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकता है।
- 2. पंजीकरण के लिए आवेदन एवं फार्म भरने का तरीका बताया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा विनियम से उपलब्ध कराया जाए और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और उसके साथ ऐसे दस्तावेज और ऐसे शुल्क रहेंगे जैसा विनियमों में उपबंधित है।
- 3. पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के बाद, बोर्ड आवेदन की असलीयत और उसमें दिए गए ब्योरे के सत्यता के बारे में ऐसी पूछताछ करेगा, जो यह उचित समझता है।
- 4. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर बोर्ड या तो आवेदक को पंजीकरण प्रदान करेगा या आवेदन को रद्द करेगा और उसके कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

परंतु यह कि जहां आवेदक को पंजीकरण की मनाही की गई है, उक्त आवेदक अपने पहले आवेदन में त्रुटियों को दूर रखते हुए, यदि कोई तो, पुनः एक आवेदन दे सकेगा।

अध्याय 6

स्थानीय स्तर समिति

13. स्थानीय स्तर समिति का गठन-

- (1) बोर्ड इसके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए एक स्थानीय स्तर समिति का गठन करेगा।
- (2) एक स्थानीय स्तर समिति में शामिल होंगे—
 - (क) संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या ज़िला के ज़िला आयुक्त से नीचे के पद का नहीं होगा।
 - (ख) किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
 - (ग) निःशक्तता वाला व्यक्ति जैसा, निःशक्तता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के खण्ड 2 की धारा (क) में परिभाषित किया गया है।
- (3) एक स्थानीय स्तर समिति अपने गठन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए या ऐसे समय तक जब बोर्ड

द्वारा इसका पुनः गठन किया जाता हैं।

(4) स्थानीय स्तर समिति तीन माह में एक बार या ऐसे अंतराल पर मिलेगी जैसा आवश्यक हो।

14. संरक्षकता की नियुक्ति

- 1. निःशक्तता वाले व्यक्ति के मां बाप या उसका संबंधी स्थानीय स्तर समिति को निःशक्तता वाले व्यक्ति के संरक्षक के रूप में काम करने के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकता है।
- 2. कोई पंजीकृत संगठन निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए एक संरक्षक की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तर समिति को निर्धारित फार्म में आवेदन दे सकता हैं

बशर्ते कि ऐसे किसी आवेदन पर स्थानीय स्तर सिमित द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि निःशक्तता वाले व्यक्ति के संरक्षक से भी सहमित प्राप्त नहीं कर ली जाती।

- 3. एक संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय, स्थानीय स्तर समिति विचार करेगी कि
 - क्या निःशक्तता वाले व्यक्ति को संरक्षक की जरूरत है
 - निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए संरक्षकता किन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है।
- 4. उपखण्ड (1) और (2) के अंतर्गत आवेदनों को स्थानीय स्तर समिति प्राप्त करेगी। कार्यवाही करेगी और निर्णय इस तरीके से लेगी जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित हो:
 - परंतु यह कि एक संरक्षक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय, स्थानीय स्तर समिति दायित्वों का उल्लेख करेगी जिन्हें संरक्षक द्वारा पूरा किया जाना है।
- 5. स्थानीय स्तर समिति बोर्ड को ऐसे अंतरालों पर जैसे विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हों इसके द्वारा प्राप्त आवेदनों और उस पर लिए गए आदेशो का ब्यौरा भेजा जायेगा।

15. संरक्षक के कर्तव्य

इस अध्याय के अंतर्गत निःशक्तता वाले किसी व्यक्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति निःशक्तता वाले व्यक्ति और उसकी संपत्ति की, जहां अपेक्षित है, देखरेख करेगा या निःशक्तता वाले किसी व्यक्ति के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी होगा।

16. संरक्षक संपत्ति-सूची और वार्शिक लेखे प्रस्तुत करेगा-

(1) धारा 14 के अंतर्गत संरक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर जिस प्राधिकारी ने उसकी नियुक्ति की है उसे निःशक्तता वाले व्यक्ति की सब परिसंपत्तियों और निःशक्तता वाले व्यक्ति की ओर से प्राप्त अन्य चल संपत्ति की सूची सौंपेगा और साथ ही निःशक्तता वाले ऐस व्यक्ति से देय और शोध्य सब दावों का विवरण देगा।

(2) प्रत्येक संरक्षक उक्त नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक वित वर्श की समाप्ती के पहले तीन माह की अवधि के भीतर अपने कब्जे में संपत्ति और परिसंपत्तियों का एक लेखा देगा, जिसमें निःशक्तता वाले व्यक्ति के कारण प्राप्त और वितरित राशियां और उसके पास बकाया का उल्लेख होगा।

17. संरक्षक को हटाना

- 1. जहां निःशक्त व्यक्ति के मां बाप या संबंधी या कोई पंजीकृत संगठन देखता है कि संरक्षक
 - (क) नि:शक्तता वाले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या उसकी अवहेलना कर रहा है; या
 - (ख) सम्पत्ति का गबन या उपेक्षा कर रहा है तो यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समिति को ऐस संरक्षक को हटाने के लिए आवेदन दे सकता है।
- 2. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर समिति यदि सन्तुष्ट है कि हटाये जाने का आधार है और कारण लिखत में दर्ज किए जायेंगे, तो ऐसे संरक्षक को हटा सकती है और उसके स्थान पर एक नया संरक्षक नियुक्त कर सकती है या यदि ऐसा संरक्षक उपलब्ध नहीं है तो निःशक्तता वाले व्यक्ति की देखरेख और सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं करेगी जो जरूरी होगी।
- 3. उपधारा (2) के अन्तर्गत हटाया गया कोई व्यक्ति बाध्य होगा कि निःशक्तता वाले व्यक्ति की सब संपत्ति का चार्ज नए संरक्षक को दे और उसने जो राशियां प्राप्त या वितरित की है उनका लेख दे।

स्पष्टीकरण — इस अध्याय के प्रयोजन के लिए पद ''संबंधी'' में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका निःशक्तता वाले व्यक्ति के साथ खून, विवाह या दत्तक ग्रहण का रिश्ता है।

अध्याय 7

जवाबदेही और मॉनीटरिंग (निगरानी करना)

18 जवाबदेही

- 1. बोर्ड के कब्जे में बहियाँ और प्रलेख किसी भी पंजीकृत संगठन द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं।
- 2. कोई भी पंजीकृत संगठन बोर्ड को लिखित मांग पत्र भेजा सकता है कि बोर्ड द्वारा रखी जाने वाले किसी बही—खाता या प्रलेख की प्रति प्राप्त कर सके।
- 3. पंजीकृत संगठन को किसी बही या प्रलेख तक पहुंच की अनुमित देने के लिए बोर्ड ऐसे विनियम बना सकता है जैसा यह उचित समझता है।

19. निगरानी करना

बोर्ड विनियमों द्वारा पंजीकृत संगठनों के निधियन-पूर्व अवस्थिति का मूल्यांकन करने प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है

जो इससे वित्तीय सहायता मांग रही है और एसे विनियमों में पंजीकृत संगठनों की गतिविधियों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जो न्यास से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

20. वार्षिक आम सभा

- बोर्ड प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत संगठनों की वार्षिक आम सभा का आयोजन करेगा और एक वार्षिक आम सभा की तारीख और अगले वर्ष की आम सभा की तारीख में छः माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।
- 2 वार्षिक आम सभा की सूचना के साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लेखों का विवरण और इसकी गतिविधियों का रिकार्ड बोर्ड द्वारा प्रत्येक पंजीकृत संगठन को ऐसे समय पर भेजा जायेगा जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 3 ऐसी बैठक का कोरम पंजीकृत संगठनों के व्यक्तियों की ऐसी संख्या होगी जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अध्याय 8

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

21. केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान— केन्द्र सरकार इसके पक्ष में कानून द्वारा संसद द्वारा उचित विनियोग के बाद, न्यास को एक सौ करोड़ रूपये का एक बार योगदान एक कार्पस के लिए करेगी, जिसकी आय का प्रयोग इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

22. निधि-

- 1. एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु— निःशक्तताओंग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास कहा जाएगा और उसमें क्रेडिट की जाएगी—
 - (क) केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले संवर्धन
 - (ख) अनुदानों, उपहारों, दानों, उपकारो, वसीयतों और अन्तणों से न्यास को प्राप्त धनराशि
 - (ग) किसी अन्य तरीके से या अन्य स्त्रोत से न्यास द्वारा प्राप्त सब धन।
- 2. कोष से संबंधित धनराशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसे तरीके से पूंजी निवेश किया जाएगा जैसा समिति, केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, निर्णय लेगा।
- 3 कोष राशि को न्यास के प्रशासनिक और अन्य खर्चों को पूरा करने हेतु में प्रयुक्त किया जाएगा जिसमें इसकी शक्तियों के प्रयोग और बोर्ड द्वारा कर्तव्यों के निवर्हन पर उपगत खर्चे शामिल हैं जो खण्ड 10 के अन्तर्गत इसकी किसी गतिविधियों या उनसे संबंधन योग्य किसी चीज के लिए होंगे।

23. बजट—बोर्ड ऐसे प्रारूप में और प्रत्येक वित्त वर्ष में ऐसे समय पर, जैसा निर्धारित किया जाये अगले वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा जिसमें न्यास की अनुमानित प्राप्तियां और खर्चे दिखाए जाएंगे और उसे केन्द्र को भेजा जाएगा।

24 लेखा और लेखा परीक्षण

- (1) बोर्ड उचित लेखों और संबंद्ध अभिलेखों को रखेगा और न्यास के लेखों के वार्षिक विवरण आय और व्यय लेखों सिहत ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी और ऐसे सामान्य निर्देशों के अनुसार जिसे उस सरकार द्वारा भारत के नियन्त्रक—महालेखापरिक्षक के परामर्श से जारी किया जाएगा।
- (2) न्यास के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक द्वारा लेखा परीक्षण ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसके द्वारा इस लेखा परीक्षण के संबंध में उपगत किसी खर्चे को बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को अदा किया जाएगा।
- (3) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक और न्यास की लेखा—परीक्षण के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में रखता है और विशेषतः उसे अधिकार होगा कि लेखा वहियों, संबंधित वाउचरों और अन्य प्रलेखों और कागजात को प्रस्तुत करने की मांग को और न्यास के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करे।
- (4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक या उसके द्वारा इस दिशा में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित न्यास के लेखे और साथ ही उनपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट को केन्द्र सरकार के पास हर वर्ष भेजा जाएगा और वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
- 25. वार्षिक प्रतिवेदन—बोर्ड हर वर्ष ऐसे फार्म में, ऐसे समय के भीतर जैसा निर्धारित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष में इसकी गतिविधियों का सच्चा और पूरा लेखा दिया जाएगा और उसकी प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएगीं और वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
- 26. आदेशो आदि को अधिप्रमाणित करनाः बोर्ड के सब आदेश और निर्णय और न्यास के नाम में जारी प्रलेख अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएगें
- 27. विवरणियां और सूचना— बोर्ड केन्द्र सरकार को ऐसी प्रतिवेदन, विविरणियां और अन्य सूचना उपलब्ध कराएगा जो केन्द्र सरकार समय पर चाहेगी।

अध्याय १

विविध

28 निर्देश जारी करने की केन्द्र सरकार की शक्ति –

1. इस अधिनियम की पूर्ववर्ती उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग या इसके कर्तव्यों निष्पादन में बोर्ड नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देषों द्वारा आबद्ध रहेगा जैसा कि केन्द्र

सरकार समय समय पर लिखित रूप में देगी:

परन्तु यह कि बोर्ड को यथा व्यावहार्य, एक अवसर दिया जाना चाहिए कि अपने विचार व्यक्त कर सके, इससे पहले कि इस उपधारा के अन्तर्गत कोई निर्देश दिया जाता है।

(2) क्या यह नीति का प्रश्न है या नहीं है इस संबंध में केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

29 बोर्ड का अधिक्रमण करने की केन्द्र सरकार की शक्ति

- 1. यदि एक पंजीकृत संगठन की शिकायत पर केन्द्र सरकार या अन्यथा उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि बोर्ड काम करने के योग्य नहीं है या उसे सीपे गए कर्तव्यों के निश्पादन में निन्तर चूक करता है तो केन्द्र सरकार बोर्ड को सूचना जारी कर सकती है और पूछ सकती है कि इसका अधिक्रमण क्यो न किया जाए;
 - परंतु यह कि केन्द्र सरकार द्वार बोर्ड को अधिक्रमण करने का कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड को उचित अवसर प्रदान करते हुए एक सूचना लिखित रूप में नहीं दी गई है कि उसे अधिक्रमण क्यो न किया जायेगा।
- 2. केन्द्र सरकार लिखित रूप में कारण रिकार्ड करने के बाद और सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके बोर्ड का एक अवधि के लिए अधिक्रमण करती है जो छः माह से अधिक नहीं होगी;
 - बशर्ते कि अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर केन्द्र सरकार धारा 3 के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन करेगी।
- 3. उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशित होने पर
 - (क) बोर्ड के सब सदस्य, इस बात का लिहाज किए बिना कि अधिक्रमण की तारीख को उनके पद की अवधि समाप्त नहीं हुई है वे ऐसे सदस्यों के रूप में कार्यालय खाली कर देंगे;
 - (ख) सब शक्तियों और कर्तव्यों जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या अन्तर्गत न्यास की ओर से प्रयुक्त या निष्पादित की जाएंगी, अधिक्रमण की अविध के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त और निष्पादित की जाएंगी जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित करेगी।
- 4. उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें में निर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर केंद्र सरकार
 - (क) आगे और अवधि के लिए अधिक्रमण की अवधि को बढ़ा सकती है जैसा यह जरूरी समझे ताकि अधिक्रमण की कुल अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी; या
 - (ख) धारा ३ (1961 का ४३) में बताए तरीके में बोर्ड का पुनर्गटन करें।
- **30 आय पर कर से छूट** आयकर अधिनियम, 1961 में या अन्य, लाभ और फायदे पर कर से संबंधित प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तत्समय प्रवृत्त होते हुए भी, न्यास आयकर या किसी अन्य प्रकार का उसकी व्युत्पन्न आय, लाभ या फायदे के बारे में आयकर या अन्य कर का भूगतान करने का दायी नहीं होगा

31 सद्भावना से की गई कार्रवाही के लिए सुरक्षा— कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्र सरकार या न्यास या बोर्ड के किसी सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या न्यास के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य निर्वहन के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी हानि या क्षिति के लिए नहीं की जाएगी सदभावना से की गई किसी चीज से जिसके होने की संभावना हो सकती है (1860 का 15)

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के उद्देश्य के लिए पद ''सदभावना'' का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 15) में दिया गया है।

- 32 न्यास के अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे— न्यास के सब सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोकसेवक माना जाएगा जब इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं, या कार्य करना तात्पर्थित है।
- 33. प्रत्यायोजन—बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित में, न्यास के अध्यक्ष या न्यास के किसी सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट होगा इस अधिनियम के अनतर्गत अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करेगा जैसा यह जरूरी समझेगा। (धारा 35 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय)

34 नियम बनाने की शक्ति—

- 1. केंद्र सरकार, राज पत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- 2 विशेषतः और पूर्वागामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के सब के लिए व्यवस्था करेंगे, यानी
 - (क) प्रक्रिया जिसके अनुसार पंजीकृत संगठन का प्रतिनिधित्व करनें वाले व्यक्ति धारा 3 की उपधारा 4 के खंड (ख) के अन्तर्गत चून जायेंगे;
 - (ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें;
 - (ग) धारा 4 की उपधारा खण्ड (6) के अन्तर्गत बोर्ड की बैठकों में कारबार की संचयवहार में प्रक्रिया के नियम;
 - (घ) धारा ८ की उपधारा (1) के अन्तर्गत मुख्यकार्य पालक शक्तियां और कर्तव्य;
 - (ड़) फार्म जिसमें एक पंजीकृत संगठन संरक्षकता के लिए आवेदन धारा 14 की उपधारा (2) के अन्तर्गत करेगा ;
 - (च) प्रक्रिया जिसके अनुसार धारा 17 के अन्तरगत संरक्षक को हटाया जा सके।
 - (छ) फार्म जिसमें और अवधि जिसके भीतर न्यास का बजट धारा 23 के अन्तर्गत केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जायेगा।

- (ज) फार्म जिसमें लेखों का वार्षिक विवरण खण्ड 24 के उपखंड (1) के अन्तर्गत रखा जाएगा;
- (झ) फार्म जिसमें और समय जिसके भीतर, वार्षिक रिर्पोर्ट धारा 25 के अन्तर्गत तैयारी की जायेगीं और भेजी जायेगी।
- (त) कोई भी अन्य मामला जिसे निर्धारित करना अपेक्षित है या निर्धारित किया जायेगा।

35. विनियम बनाने की शक्ति

- 1. बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियम बनाएगा जो इस अधिनियम और नियमों के संगत होंगे और सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को निष्पादित करेंगे।
- 2. विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्न मामलों सब के लिए या किसी के लिए व्यवस्था करेंगे, यानी
 - (क) तरीका और प्रयोजन जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत व्यक्ति को संबंद्ध किया जायेगा।
 - (ख) समय और स्थान जहां धारा 4 की उपधारा (6) के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक होगी;
 - (ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारीयों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें :
 - (घ) फार्म और तरीका जिसमें धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया जाएगा और ब्योरे जो उपखण्ड 19 के अन्तर्गत ऐसे आवेदन में अन्तर्विष्ट होंगे।
 - (ड) तरीका जिसमें संरक्षकता के लिए आवेदन धारा 4 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्थानीय स्तर समिति द्वारा प्राप्त संसाधित और निर्णीत किया जाएगा।
 - (च) आवेदनों के और उन पर धारा 14 की उपधारा (5) के अंतर्गत स्थानीय स्तर समिति द्वारा पारित आदेशों के ब्योरे;
 - (छ) पंजीकृत संगठनों की निधियन पूर्व अवस्थिति के मूल्यांकन की प्रक्रिया और धारा 19 के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत संगठनों के कार्यकलापों को निगरानी और मूल्यांकित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करनाः
 - (ज) समय जिसके भीतर वार्षिक आम सभा के लिए सूचना मांगी जाएगी और ऐसी बैठक के लिए धारा 20 की उपधारा (2) और (3) के अन्तर्गत कोरम; और
 - (झ) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है और उपलब्ध कराया जायेगा।

36 संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम और अधिनियम— इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और अधिनियम, इसके बनाये जाने के तत्काल बाद संसद के प्रत्येक सदन के सामने ले जाया जाएगा, जब यह 30 दिनों की कुल अविध के लिए सत्र में होगी जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में शामिल होगी और यदि, सत्र या उक्त उत्तरोत्तर सत्रों के तत्काल बाद सत्र के समापन से पहले दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम या विनियम न बनाए जायें इसलिए नियम या विनियम ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभाव रखेंगे या किसी प्रभाव के नहीं होगे, जैसी भी स्थिति हो; अतः तथािप ऐसा उपांतरण या बातिल किया जाना उस नियम या विनियम के अन्तर्गत पहले कुछ भी किए की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।